UPEW010055872019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट कक्ष सं02,इटावा।
परिवाद सं0 2800150/2019

रेखा देवी बनाम जितेन्द्र यादव आदि

दि0– 26.02.2021

पत्रावली आदेशार्थ हेतु पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

मैनें पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को समर्थित करते हुये परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता में कहा है कि वह बाल्मीक जाति की है,जिनके खिलाफ मुकदमा करना चाहती है वह यादव जाति के हैं। मैं दिनांक 13.10.2019 को शाम करीब 6.30बजे गांधीनगर स्थित बाल्मीक मंदिर पर दर्शन करने गयी थी तो वहां पर जितेन्द्र यादव आया और कहने लगा कि तू मेरे खिलाफ बहुत प्रार्थना पत्र देती है। मैंने कहा कि आप कानून का उलंघन न करे। ये लोग मेरी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जितेन्द्र यादव मुझे गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा कि ''साली भंगनि''। इसके साथ तो मुझे और भी गंदी गन्दी मां बहिन की गाली देने लगा। इसके बाद मैंने जब उसे गाली देने से रोका तो वह मुझे मारने के लिए दौड़ा तब मैं मंदिर के बगल में अपने कमरे में डर कर घुस गयी। ये भी मेरे कमरे में जबरन घुस आया और मुझे लात घूंसों थप्पड़ो से मारने लगा फिर ये मेरे कपड़े ब्लाउज फाड़ने लगा फिर मैं रोने लगी फिर जितेन्द्र की पत्नी ममता देवी भी मेरे कमरे में आ गयी और वह भी मुझे मारने लगी और मेरे बटुए में रखे सात हजार चार सौ तीस रूपये व मेरी एक सोने की अंगूठी व मंगलसूत्र लूट कर ले गये। ममता देवी ने जाते जाते मुझे धमकी दी कि '' साली भंगनि अगर रिपोर्ट की तो तुझे जान से मार देंगे।'' घटना के बाद मैं फ्रेण्डस कालोनी थाना गई,थाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मेरी डाक्टरी भी नहीं कराई गयी। इसके बाद मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,इटावा को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी की ओर से धारा 202दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित साक्षीगण सी0डब्लू0–1 राम कुमार एवं सी0डब्लू0–2 रामसेवक ने भी परिवादिनी के उक्त कथन को अपने सशपथ बयान से समर्थित किया है और स्पष्टतः प्रस्तावित उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को स्पष्ट किया है।

परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0संहिता में अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मकान में घुसकर मारपीट करना,गाली देना,जान से मारने की धमकी देना,उसकी लज्जा भंग करना व लूट करना तथा जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना अभिकथित है।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–452,323,504,354,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट एवं अभियुक्ता ममता देवी यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–452,323,504,506,392 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट का आपराधिक मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उन्हें उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जितेन्द्र यादव को धारा–452,323,504,354,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट व अभियुक्ता ममता देवी को धारा–452,323,504,506,392 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक–**05.04.2021** के लिये समन द्वारा तलब किया जाये । परिवादिनी धारा–204 दं0प्र0संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करे।

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट
न्यायालय,कक्ष संख्या–2,इटावा।
26.02.2021

Digitally signed by Avdhesh Kumar
Date: 2021.02.26 16:14:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court